संख्या- 348 /2025/ 3444 /चार-2025- 1912725

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पूर्व पत्र संख्या- 1118/सं0नि0-15(128)/2024-25, दिनांक 21 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 164 /2025/ 844 /चार-2025-1912725 दिनांक 29.03.2025 द्वारा जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय की अनुमानित धनराशि रू0 17,14,500/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु गत वित्तीय वर्ष में सुसंगत मद में धनराशि अवशेष न होने के कारण कलाकारों के मानदेय के भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

साथ ही जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय धनराशि रू0 20,36,325/- के सापेक्ष 18 प्रतिशत जीएसटी अर्थात धनराशि रू0 3,08,610/- की कार्योत्तर, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-262/2025/1789/ चार- 2025, दिनांक 07 जुलाई, 2025 को निरस्त करते हुए रू0 20,36,326.00 की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3226/सं0नि0-15(128)/2024-25, दिनांक 20 नवम्बर, 2025 द्वारा संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा तीज मेला महोत्सव सिरसागंज, फिरोजाबाद के अवसर पर दिये गये उच्च निर्देशों के क्रम में श्री माता प्रसाद मिश्रा, वाराणसी कथक नृत्य नाटिका तथा श्री प्रांजल दाहिया एवं अजय रेड्डी के कार्यक्रम मीम प्रोडक्शन के माध्यम से कराये जाने पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कलाकार का नाम	विधा	मानदेय पर हुए वास्तविक व्यय
1	श्री माता प्रसाद मिश्रा, वाराणसी	शास्त्रीय/ लोक समूह नृत्य नाटिका	2,36,000.00
2	श्री प्रांजल दाहिया, चण्डीगढ़ एवं अजय हुड्डा, हरियाणा (मीम प्रोडक्शन के माध्यम से)	सिंगिंग लाइव शो एवं हरियाणवी लोक नृत्य	18,00,326.00
योग (रू0 बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ छब्बीस मात्र)			20,36,326.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय रू0 17,14,500/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 164 /2025/ 844 /चार-2025-1912725 दिनांक 29.03.2025 को तथा** जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय धनराशि रू0 20,36,325/- के सापेक्ष 18 प्रतिशत जीएसटी अर्थात धनराशि रू0 3,08,610/- की कार्योत्तर, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-**262/2025/1789/ चार- 2025, दिनांक 07 जुलाई, 2025** को **एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।** उपर्युक्त प्रस्तर-2 के प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद फिरोजाबाद में समौर (सम्भौर) बाबा धाम एवं प्राचीन तीज मेला महोत्सव सिरसागंज में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 20,36,326/- (रूपये बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ छब्बीस मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।